

2022/340

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी अरुण कुमार स्वामी पुत्र स्व. श्री रामकरण स्वामी, निवासी-175 राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने के एफआईआर की प्रतिलिपि पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री रामकरण स्वामी पुत्र स्व. श्री दयाराम, निवासी 175, राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.04.2007 को बन्द वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 21.11.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.04.2007 को रखवाई गयी बन्द वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को मवाहान रामकुमार पुत्र श्री रामलाल वारस स्वामी पुत्र श्री हराराज पुत्र श्री गोपेशराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं मवाहानों की शिनाखा अधिवक्ता श्री संजय तेनगरिया ने की है। उक्त निर्धारित शुल्क जमा कर सील पैकेट एवं लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक गङ्गोदय



